उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्याः- 1173/24-पी-2-20-1(121)/04
लखनऊः दिनांकः 03 जनवरी, 2021

अधिसूचना आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन्् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 2- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ, 3- उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ, 4- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 5- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 6- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, 7- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, 8- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ और 9- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्याः- 1173(1)/24-पी-2-20-1(121)/04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 04.01.2021 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्याः- 1173(2)/24-पी-2-20-1(121)/04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(2) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(6) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
(7) सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
(8) विधायी अनुभाग-1
(9) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(10) प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।
(11) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
(12) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
(13) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
(14) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
(15) गोपन अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1173/24-P-2-2020-1(121)/2004, dated- 03-01-2021.

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
NO. 1173/24-P-2-2020-1(121)/04
Dated, Lucknow: 03-01-2021

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, Lucknow, 4. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 5. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 6. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 7. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 8. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 9. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By order,

ARVIND KUMAR
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY